

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)( )डीएलबी/2019/4890

दिनांक: 10-3-2023

### आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार विभागीय आदेश क्रमांक प.8(क)(वि.स.)(17) डीएलबी/19/9609-9640 दिनांक 09.08.2019 द्वारा नियुक्त श्री बलदेव सिंह रावत पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार नगर परिषद ब्यावर के कार्यकाल की अवधि उक्त विभागीय आदेशो की निरन्तरता में समसंख्यक आदेश क्रमांक 15096-16004 दिनांक 09.10.2020 द्वारा आगामी एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेशो तक जो भी पहले हो, नियमानुसार देय पारिश्रमिक/फीस भुगतान पर बढ़ाई गई थी।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्री बलदेव सिंह रावत पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार नगर परिषद ब्यावर के कार्यकाल की अवधि पुनः एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेशो तक जो भी पहले हो, नियमानुसार देय पारिश्रमिक/फीस भुगतान पर बढ़ाई जाती है।

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानदेय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.2013 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.2014 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगर परिषद ब्यावर जिला- अजमेर से देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।




(हितेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)( )डीएलबी/2019/4891-4900 दिनांक: 10-3-2023  
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग अजमेर।
5. सभापति/आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर जिला अजमेर।
6. श्री बलदेव सिंह रावत पैनल अधिवक्ता, नगर परिषद, ब्यावर।
7. प्रोग्रामर, IT सेल निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।



(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी